नम्बर व...
अहकाम...
हुक्म की...
में जारी...

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
299 / 2023	22.12.2023	31.10.2025

हन्सराम पुत्र सुखपाल, माली निवासी उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राज0 अधिनियम

उपस्थित :— श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की भूमि ख0न0 1247 रकबा 0.02 है0, ख0न0 1248 रकबा 0.09 है0, ख0न0 1302 रकबा 0.03 है0, ख0न0 944 रकबा 0.04 है0, ख0न0 958 रकबा 0.06 है0 ग्राम उदेईकलां में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1247 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1248 रकबा 0.09 है0 की सुरक्षा हेतु प्रार्थी ने मिट्टी की डौल बनाई हुई है। बरसात में डोल मेड नष्ट हो जाने के कारण आसपास के काश्तकारों से आये दिन सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0नं0 1247 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1248 रकबा 0.09 है0 ग्राम उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी पर पत्थरगढी के आदेश फरमाए जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 631 ग्राम उदेईकलां, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

वकील प्रार्थी को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 631 ग्राम उदेईकलां के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है इसलिए प्रार्थी भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.11 17:08:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि मौके पर कोई विवाद नहीं हो तो वह प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल ख0न0 1247 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1248 रकबा 0.09 है0 ग्राम उदेईकलां की पत्थरगढी करवावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) गंगापुर सिटी (स०मा०) सत्यमेव जयते

(बृजेन्द्र मीना)
उपजिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.11 17:08:20 IST
Reason: SelfAttested